



05644.238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (रांज.)

कमांक: राप्रनिम/क्षे.का.भ./उपापन/.....1355

दिनांक.....06-12-19

-: खुली निविदा सूचना सं. 02/2019-20 :-

इस कार्यालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिये अनुबंध के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुभवी जी.एस.टी. पंजीकृत संस्थाओं से डबल कवर सिस्टम के अंतर्गत मुहरबन्द निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	अमानत राशि	प्रतिभूति राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि
1.	3 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन						
2.	3 क्षेत्र सहायक (Field Assistant)	3,60,000/-रु	500/-रु.	7,200/-रु.	18,000/-रु.	18/12/2019 (12:00 PM)	18/12/2019 (04:00PM)
3.	1 प्रयोगशाला परिचारक/सहायक						
4.	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						
5.	1 सफाई कर्मी						

उपरोक्त निविदायें 17/12/2019 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00 से सांयः 06:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 18/12/2019 तक दोपहर 12:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें विभागीय वेबसाईट <http://www.rpcb.rajasthan.gov.in> एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा फार्म वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा शुल्क की राशि नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट (सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भरतपुर) द्वारा जमा कराई जा सकती हैं जिसकी रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट (मूल) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अमानत राशि के लिये डिमांड ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भरतपुर (PAYABLE AT BHARATPUR) के नाम से निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(एच. आर. कसाणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान संपादक को भेजकर लेख है कि इस निविदा को क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रिका में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बिल दो प्रतियों में कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि टेण्डर बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., भरतपुर



05644.238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

—: तकनीकी बोली प्रपत्र:—

(लिफाफा न० 1)

कार्य का नाम— कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (तीन) , क्षेत्र सहायक (Field Assistant) (तीन), प्रयोगशाला परिचारक/सहायक (एक), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (एक), सफाई कर्मी (एक)।

➤ संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर की बोली सूचना संख्या—दिनांक.....

➤ बोलदाता/संवेदक का नाम :-.....

➤ डाक का पता :-.....

➤ फोन/मोबाईल नं. :-.....

➤ ई-मेल :-.....

➤ बैंक का नाम :-.....

➤ आईएफसी कोड :-.....

➤ खाता संख्या :-.....

➤ किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर

➤ बोली शुल्क रूपये : (1) 500/-रु. (पाँच सौ मात्र)
(2) जमा रसीद संख्या.....दिनांक.....
डीडी क्रमांक.....दिनांक.....
राशि.....(डी.डी. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भरतपुर (PAYABLE AT BHARATPUR) के पक्ष में देय होगा।)

➤ बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

➤ कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।

➤ बोली अमानत राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भरतपुर (PAYABLE AT BHARATPUR) के पक्ष रूपये 7,200/- डीडी क्रमांक..... दिनांक निम्नानुसार संलग्न है।

➤ संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....
मोबाईल नं.....


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)



05644.238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

- बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:-

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8.	प्रामाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				

- मैं/हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक.....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
- संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....
मोबाईल नं.....



05644.238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

प्राईस शिड्यूल (वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम— कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (तीन) , क्षेत्र सहायक (Field Assistant) (तीन), प्रयोगशाला परिचारक/सहायक (एक), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (एक), सफाई कर्मी (एक)।

क. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)	कुल राशि रु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (कुल संख्या 3)	उच्च कुशल	7774	03		नियमानुसार	नियमानुसार		
2.	क्षेत्र सहायक (Field Assistant) (कुल संख्या 3)	उच्च कुशल	7774	03		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं	
3.	प्रयोगशाला परिचारक/सहायक (कुल संख्या 1)	कुशल	6474	01		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं	
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कुल संख्या 1)	अकुशल	5850	01		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं	
5.	सफाई कर्मी (कुल संख्या 1)	अकुशल	5850	01		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं	

- उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 5,8,9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी। स्तम्भ संख्या 5 में दर न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।
- संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में, (0) शून्य, एवं (-) ऋणात्मक में राशि स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
नाम.....


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज.)




क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

General Terms & Condition of Bid & Contract :

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [hereinafter called the Act] and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
- निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को अलग-अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफों पर " **मैनपावर हायर किये जाने हेतु निविदा** " अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय " राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर " जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.) को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
- निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- दरें शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा।
- निविदा फॉर्म के साथ निविदा शुल्क राशि रूपये 500/- नगद अथवा **सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भरतपुर (PAYABLE AT BHARATPUR)** के पक्ष में अनुसूचित बैंक में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। SPPP पोर्टल से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ भी निविदा शुल्क देय होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा।
- अमानत राशि रु 7,200/- का डी. डी. प्रस्तुत करना होगा इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा यह राशि **सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, देय भरतपुर** के पक्ष में अनुसूचित बैंक में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।
- अमानत राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाताओं को सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश की आपूर्ति के पश्चात् लौटाई जायेगी।
- अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।
- विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता/संवेदक का होगा।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

- राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता/द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
- राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की ही होगी। निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि की जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
भरतपुर (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

- श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/ दायित्वों के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों एवं दायित्वों के लिए निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता ही जिम्मेदार होगा।
- यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छंटनी, पुलिस वेरिफिकेशन, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस. आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
- यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
- कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
- उक्त पदों की स्वीकृति मुख्यालय द्वारा आपेक्षित है। किसी कारण से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर निविदाएँ समाप्त (आंशिक अथवा पूर्ण) करने की शक्ति अधोहस्ताक्षर कर्ता में निहित होगी।
- सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कर्मचारी उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
- अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
- इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएँ उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमत इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
- बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
भरतपुर (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

- क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।
- बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नही देगा।
- विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 7 दिन मे कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
- मूल्यांकन की कसौटी-बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईंग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
- बोली का अपवर्जन:- अधिनियम की धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
- करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-
 - (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, देय भरतपुर** के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिषयल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
 - (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा मे बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम मे समायोजित की जा सकती है या लोटाई जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पुनः रकम की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति राशि दे देता है।
 - (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।
- **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):-**

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-

 - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज.)



05644.238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

➤ भुगतान:-

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। नियमानुसार आयकर एवं GST कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।

परिनिर्धारित क्षति:- परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मुल्यों के लिए की जायेगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए-2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए -5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित सुपुर्दगी के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए-7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए-10%

(ङ) विलम्ब कि अवधि में एक चौथाई से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तार्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय न कि सप्लाई करने पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

➤ बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है :-

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर दूरभाष 05644-238114

E-mail:- rorpccb.Bhatapur@gmail.com


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....
मोबाईल नं.....



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)


1. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तें:-

- (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विडोज/लाईनेक्स एन्वायरमेंट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इंटरनेट का ज्ञान /अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।
- (ii) कम्प्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक / स्नाकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
- (iii) कर्मी स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

➤ **मशीनों का विवरण:-** निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है।

- (i) Computer-Intel Core i3/Equivalet AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB OR higher, Hard disk 250GB or more 15" Monitor/TFT or biggar 10/1001000Mbps Lan card, cd/DVD writer standards keyboard, optical mouse, standard serial, parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.
- (ii) Printer:-Black and White laser printer with speed 15ppm or more, for specific needs, Do matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
- (iii) UPS:- Online/Offline UPS for abve Computer and printer with 30 minutes battery backup.

- यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरंत इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
- कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य संपादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
- कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)SPFC/2017 Dated 30-04-2018 के अनुरूप होगी।
- यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक चाहे ऑपरेटर की गैर हजारी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन 300/- की कटौती की जावेगी।
- यदि कम्प्यूटरों की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः निविदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
- कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये किसी भी दिन किसी भी समय ऑपरेटर को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा।
- कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि वह अनुपस्थित रहता है तो निविदादाता को उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में भिजवाना अनिवार्य होगा।
- कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

मोबाईल नं.....

➤ **क्षेत्र सहायक (Field Assistant) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तें:-**

कार्य का नाम-भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जांच कार्यक्रम (ए.एन.पी.) के अन्तर्गत भरतपुर में स्थापित तीन वायु गुणवत्ता जांच केन्द्रों के संचालन हेतु सहायक उपलब्ध करवाना (कुल संख्या 3)

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजना (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरण:-

भरतपुर शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित है:-

क.सं.	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) का नाम	क्षेत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहां नमूने जमा कराने हैं।
1	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)
2	कार्यालय भरतपुर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति हीरादास भरतपुर (राज.)	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)
3	कार्यालय रीको ब्रिज औद्योगिक, क्षेत्र भरतपुर (राज.)	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

➤ **परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र पर तकनीकी सहायक/कर्मि से केन्द्र पर लिये जाने कार्य अपेक्षित कार्य:-**

अ. कार्य का विवरण:- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल के राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) भरतपुर स्थित चार (04) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन (Operation of Respirable Dust Sampler PM-10 एवं PM 2.5 Sampler) सुरक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety & Security) क्षेत्रीय प्रयोगशाला से डाटा शीट, फिल्टर पेपर एवं एबजोर्बिंग सोलूशन आदि प्रत्येक मॉनिटरिंग हेतु प्राप्त करना, वायु नमूनों का संग्रहण (Collection of Air Quality Monitoring Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला भरतपुर शीघ्रता शीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना।

ब. परियोजना अंतर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है स्थानों व मशीनों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है।

स. निर्धारित स्टेशनों पर मंडल द्वारा उपलब्ध कराई मशीन का सुचारु रूप से संचालन (Operation of Equipments)

द. प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) एक सप्ताह में दो दिवस के अंतराल पर 24 घंटे चलाया जायेगा।

य. वांछित कार्य संपादन के लिये 8 घंटे प्रति पारी (6:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम. 2:00 पी.एम. से 10:00पी.एम. तक एवं 10:00 पी.एम. से 6:00 ए.एम.) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक नियुक्त किया जायेगा।

31
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

- आपात स्थिति एवं प्रत्येक दिपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रों पर दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी सहकार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
- क्षेत्र सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
- क्षेत्रीय अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर बोलीदाता/संवेदक पर शास्त्रित अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का बोलीदाता/संवेदक द्वारा तुरंत निराकरण करना होगा।
- निविदादाता को भरतपुर शहर के संपूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर कार्य संपादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- राष्ट्रीय परिवेशीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अंतर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Quality Monitoring) आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित क्षेत्रीय प्रयोगशाला का परिवहन (लाना एवं ले जाना) के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।
- प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work) संपादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment Supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मंडल प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत (Servicing and Repairing) सर्विस आदि की जिम्मेदारी मंडल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक की कर्तव्य निष्ठा, सुचारु रूप से मशीन के संचालन के रुकावट पर तुरंत मंडल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि बोलीदाता/संवेदक या उसके क्षेत्र सहायक की लापरवाही से मशीन से खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आंकड़ा प्रतिवेदन आंकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मंडल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
- मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे क्षेत्र सहायक उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
- संवेदक द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्र सहायकों की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
- क्षेत्र सहायक के अनुपस्थित होने पर प्रबोधन कार्य संचालन सुचारु रखने हेतु निविदादाता द्वारा किसी अन्य क्षेत्र सहायक की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी।
- संवेदक या उसके क्षेत्र सहायक द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन प्रयोगशाला प्रभारी अथवा अन्य नामित अधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आंकड़ा प्रतिवेदन (Collected Sample Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा एवं नमूना एकत्रीकरण हेतु फिल्टर एवं अन्य विलियन प्राप्त किये जायेंगे।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज.)


बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....
मोबाईल नं.....



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

➤ **प्रयोगशाला परिचारक/सहायक हेतु शर्त :-**

- (i) प्रयोगशाला परिचारक/सहायक स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना आवश्यक है।
- (ii) प्रयोगशाला परिचारक/सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी (PCM) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
- (iii) प्रयोगशाला परिचारक/सहायक 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- किसी भी प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य प्रयोगशाला परिचारक/सहायक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
- निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
- निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक/सहायक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
- प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
- ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
- प्रयोगशाला परिचारक/सहायक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
- उपलब्ध कराये गये प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के फोटो पहचान पत्र तथा उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी पास का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
- किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम भरतपुर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
- सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, भरतपुर न्यायालय ही रहेगा।
- नियमानुसार कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
- किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- प्रयोगशाला परिचारक/सहायक घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- राज् सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
- प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....
मोबाईल नं.....



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

➤ **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु शर्तः—**

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
- निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
- निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना—दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
- ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
- उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के फोटो पहचान पत्र एवं 8वीं पास का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
- किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम भरतपुर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
- सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, भरतपुर न्यायालय ही रहेगा।
- नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
- किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- राज सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी आदेशों /नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण—पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....
मोबाईल नं.....



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

➤ **सफाई कर्मचारी हेतु शर्त :-**

- शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर कर्मियों का सामान्य: अवकाश रहेगा, परन्तु आवश्यकता होने पर बिना अतिरिक्त भुगतान के सेवाएं देनी होगी। उपरोक्त दिवसों पर कार्य से इन्कार करने पर तीस दिन का महीना मानते हुए देय बिल में से अनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु प्रातःकाल (प्रातः 8:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक) सफाईकर्मि लगाने होंगे। आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त सफाईकर्मि सामान्य शर्तों के साथ उपलब्ध कराने होंगे। यह व्यवस्था सप्ताह में 5 दिवस (.शनिवार, रविवार को छोडकर) रहेगी।
- सफाई कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार की सामग्री यथा: फिनॉयल, टोयलेट क्लीनर, नेपथलीन गोली, डिटरजेन्ट, विम पाउण्डर, एसिड, तरल साबुन, आदि सामान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। आवर्ती सूची के अनुसार निर्धारित स्थानों पर इनका उपयोग करना होगा।
- झाडू, गेती, फावडा, इत्यादि आवश्यक सामान की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जायेगी।
- निविदाकार अपने कार्यालय या निवास का पूर्ण पता, फोन नः व मोबाइल नंबर अंकित करेगा जहाँ उससे सम्पर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर सूचित करेगा जिससे इस प्रयोजन हेतू सम्पर्क किया जा सके।
- कार्यो का संपादन एवं साजों सामान का उपयोग क्षेत्रीय कार्यालय राप्रनिम, भरतपुर की दृष्टि से संतोषजनक ढंग से होना चाहिए। संवेदक को संपूर्ण परिसर को स्वच्छ रखना होगा।
- निर्धारित समय पर या निर्धारित गुणवता के अनुरूप कार्य न पाये जाने पर अथवा विभाग को आवश्यकता न होने पर अनुबन्ध को समय पूर्व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राप्रनिम, भरतपुर को होगा।
- सम्पादित किये जाने वाला कार्य का, संलग्न आवर्ती चार्ट के अनुसार सम्पादित करने के पश्चात संबंधित अधिकारी/सफाई प्रभारी द्वारा निरीक्षण करवाना होगा, एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार पुनः कार्य सम्पादित करना होगा, जिसके लिये विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- आवर्ती चार्ट के अनुसार कार्य न करने, असंतोष ढंग से करने एवं अधूरा छोडने की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित पेनल्टी की कटौती निविदादाता / फर्म को देय राशि में से की जायेगी। इसके अलावा अधूरे एवं असंतोषजनक कार्य को विभाग द्वारा स्वयं या अन्य संस्था के द्वारा करवाने पर हुए हर्जे-खर्चे की ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
- आवर्ती चार्ट के अलावा भी अन्य किसी प्रकार की गंदगी हो जाने पर तुरन्त सफाई करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा तथा भवन को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- सफाईकर्मि के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सफाईकर्मि जो भी उपस्थित हो, तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
- **कार्य का विवरण:-** क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर के सम्पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिये अनुबन्ध


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

सफाई कार्य का आवृत्ति चार्ट:-

क.सं.	कार्य का विवरण	आवृत्ति	निरीक्षण करने एवं प्राप्त शिकायत के आधार पर सफाई कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आरोपित की जाने वाली शास्ति की राशि	अन्य विवरण
1.	कार्यालय परिसर के सभी बरामदो, सभी कमरों की सफाई का कार्य करना जिसमें झाड़ू, पौछा, जाला हटाने, फर्नीचर डस्टिंग का कार्य, सम्मिलित है।	प्रतिदिन	रु. 50/-प्रतिदिन	
2.	कार्यालय परिसर के सभी बरामदो, कमरों पोर्च, लॉबी में फिनायल का पौछा लगाना एवं सफाई का कार्य।	प्रतिदिन दो बार	रु. 100/-प्रतिदिन	
3.	कार्यालय परिसर में पार्किंग स्थल, खुला स्थल एवं सडकें इत्यादि।	प्रतिदिन	रु. 200/-प्रतिदिन	
4.	शौचालय की सम्पूर्ण सफाई व धुलाई (डिटरजेंट, लिक्विड टोयलेट क्लीनर, फिनायल तथा तेजाब इत्यादि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।	प्रतिदिन दो बार	रु. 100/-प्रतिदिन	
5.	सम्पूर्ण परिसर के समस्त कचरे को एकत्रित कर भवन के बाहर निर्धारित स्थान पर डालना व जलाना।	प्रतिदिन दो बार	रु. 200/-प्रतिदिन	
6.	परिसर के सभी कमरों, मीटिंग कक्ष, हॉल, शौचालयों में बेगोन/फिनिट व अन्य स्वीकृत कीटनाशकों का छिडक व मच्छरों को खत्म करना।	साप्ताहिक एवं आवश्यकता होने पर	रु. 100/-प्रति सप्ताह	
7.	भवन परिसर की छत एवं छज्जों आदि की झाड़ू से सफाई का कार्य व ड्रेन पाईपों को साफ करना।	प्रति सप्ताह	रु. 200/-प्रतिमाह	

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदा दाता का नाम:.....
2. मोबाइल नम्बर:.....
3. Mail ID :-
4. डाक का पता:.....
5. टेलीफोन नम्बर (दुकान)

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)



05644.238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

Annexure-A


घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपद्धत कर दिया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय मोहर


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

Annexure: A

Declaration by the bidder regarding Qualifications

Declaration by the bidder

In relation to my/our bid submitted to Regional officer, RSPCB, Bharatpur for procurement of service of Computer operator, Field assistant, Lab attendant, Peon, and Sweeper in response to their notice inviting Bid No Dated I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/We do not have and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भरतपुर (राज.)